

कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची

164

आवश्यक सूचना

राज्य के कृषकों को सूचित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानित उर्वरकों का कम्पनीवार प्रति बोरी अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) निम्न प्रकार है :-

| SL NO | COMPANY | UREA (Ind./Imp.) | DAP (Ind./Imp.) | MOP | SSP (Powder) | Complex | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------------------|--------------------|---------|-----------------|---------------------|---------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | | | | | 20:20:0:13 (Ind) | 20:20:0:13 (Imp) | 16:16:16 | 14:28 | 14:28:14 | 28:28:00 | 12:32:16 | 10:26:26 | |
| 1 | IFFCO | 266.50 | 1350.00 | - | - | 1175.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1445.00 |
| 2 | NFL | 266.50 | 1350.00 | 1625.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | YARA | 266.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KFL/KRIBHCO | 266.50 | 1350.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | INDORAMA | 266.50 | 1350.00 | 1625.00 | 600.00 | 1225.00 | 1200.00 | 0.00 | 1350.00 | 1650.00 | 1700.00 | 1470.00 | 1470.00 | - |
| 6 | IPL | 266.50 | 1350.00 | 1550.00 | 600.00 | - | 1225.00 | 1375.00 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | MATIX | 266.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | HURL | 266.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | PPL | - | 1350.00 | - | - | 1225.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | SAI | - | - | - | 575.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | BVFCL | 266.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | BEC | - | - | - | 580.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

नोट :

- यूरिया की प्रति बोरी 45 KG Packsize की होती है एवं शेष उर्वरकों की बोरी 50 KG Packsize होती है।
- यदि किसी भी खुदरा विक्रेता द्वारा उक्त निर्धारित MRP से अधिक मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री की जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी / प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, जिले के जिला कृषि कार्यालय तथा संयुक्त कृषि निदेशक, कार्यालय में उसकी शिकायत की जा सकती है।
- यदि किसी विक्रेता द्वारा जबर्न अनुदानित उर्वरकों के साथ गैर-अनुदानित (नैगो यूरिया / डीएपी छोड़ कर) उर्वरकों की बिक्री की जाती है। तो ऐसी स्थिति में संबंधित विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(N)

(R) [Signature]

कृषि निदेशक,
झारखण्ड, राँची।